प्रेषक,

जिलाधिकारी
हरिद्वार।

सेवा में,

Shri. Rahul Verma
Advocate (L.L.M.)
Supreme Court Of India
Additional Advocate General
State Of Uttarakhand/Respondent
137, Tower No. 10,
Supreme Enclave, Mayur Vihar Phase-1,
Delhi-110091
Mobile No. 9717706032

संख्या 647 /एल0बी0ए0–2023 दिनांक: 26 सितम्बर, 2023

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–213/2023 Palla & Ors. Vs State of Uttarakhand में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–213/2023 Palla & Ors. Vs State of Uttarakhand में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रकरण नगर पंचायत भगवानपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट को ग्राम मक्खनपुर महमूद आलमपुर, शाहपुर तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार में सोलानी नदी में डाले जाने के संबंध में हैं।

प्रश्नगत प्रकरण पर वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कार्यवाही सहित दिनांक 29.09.2023 तक Factual and Action Taken Report रिपोर्ट मा0 एन0जी0टी0 को उपलब्ध कराने हेतु उप जिलाधिकारी, भगवानपुर की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया। संयुक्त जांच समिति द्वारा Factual and Action Taken Report रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई हैं।

उक्त पत्र के परिपेक्ष्य में उप जिलाधिकारी, भगवानपुर की अध्यक्षता में संयुक्त जांच समिति की निरीक्षण आख्या में अवगत कराया गया है कि नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम रूडकी से समन्वय स्थापित कर नगर पंचायत भगवानपुर के उत्पादित दैनिक ठोस अपशिष्ट (कूडे) को नगर निगम, रूडकी के सालियर स्थित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लान्ट में डाले जाने हेतु अनुबन्ध सम्पादित कर कूडा डाले जाने की अनुमति प्राप्त कर ली गयी हैं (छायाप्रति संलग्न हैं) तथा दिनांक 25.09.2023 से नगर निगम रूडकी के सालियर स्थित कूडा प्लान्ट में कूडा डालना प्रारम्भ कर दिया गया हैं।

अतः उप जिलाधिकारी, भगवानपुर की अध्यक्षता में संयुक्त जांच आख्या की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में सादर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः मूलरूप में।

भवदीय,

(पी0एल0 शाह)
अपर जिलाधिकारी–प्र0
हरिद्वार।
27/09/23

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सदस्य सचिव मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गौरा देवी पर्यावरण भवन 46 बी, आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून।

2– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी–प्र0
हरिद्वार।

संयुक्त निरीक्षण आख्या

मा0 एन0जी0टी0 में मूल आवेदन सं0–213/2023 पाल्ला एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में संयुक्त आख्या :–

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित प्रकरण के सन्दर्भ में जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार के कार्यालय आदेश पत्रांक–606/ एल0बी0ए0–2023 दिनांक 22 सितम्बर, 2023 द्वारा नगर पंचायत भगवानपुर के कूड़ा निस्तारण प्लान्ट हेतु भूमि की स्थायी व्यवस्था होने तक नगर पंचायत भगवानपुर में उत्पादित दैनिक ठोस अपशिष्ट (कूड़े) को नगर निगम, रूड़की के सालियर स्थित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लान्ट में प्रसंस्करण हेतु भेजा जाना सुनिश्चित करें, के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम, रूड़की से समन्वय स्थापित कर नगर पंचायत भगवानपुर के उत्पादित दैनिक ठोस अपशिष्ट (कूड़े) को नगर निगम, रूड़की के सालियर स्थित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लान्ट में डाले जाने हेतु अनुबन्ध सम्पादित कर कूड़ा डाले जाने की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है (छायाप्रति संलग्न) तथा दिनांक 25.09.2023 से नगर पंचायत भगवानपुर में उत्पादित दैनिक ठोस अपशिष्ट एवं लीगेसी वेस्ट का निस्तारण नगर निगम, रूड़की के सालियर स्थित कूड़ा प्लान्ट में करना प्रारम्भ कर दिया गया है।

अतः संयुक्त आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत–भगवानपुर
जनपद–हरिद्वार

Regional Officer
Uttarakhand Pollution Control Board
Roorkee, Distt. Haridwar

उप जिलाधिकारी
भगवानपुर

कार्यालय–नगर पंचायत भगवानपुर जिला, हरिद्वार

पत्रांकः– 370 / न0पं0भ0 / 2023–24 दिनांक 23 –09–2023

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

विषय :– नगर पंचायत भगवानपुर के ठोस अपशिष्ट कूड़े को नगर निगम रूड़की के सालियर स्थित कूड़ा निस्तारण प्लान्ट पर डलवाये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय आदेश पत्रांक–606 / एल0बी0ए0–2023 दिनांक 22 सितम्बर, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आदेशित किया गया है कि नगर पंचायत भगवानपुर के कूड़ा निस्तारण प्लान्ट हेतु भूमि की स्थायी व्यवस्था होने तक नगर पंचायत भगवानपुर में उत्पादित दैनिक ठोस अपशिष्ट (कूड़े) को नगर निगम, रूड़की के सालियर स्थित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लान्ट में प्रसंस्करण हेतु भेजा जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में नगर पंचायत भगवानपुर ज़िला हरिद्वार द्वारा नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, रूड़की से समन्वय स्थापित कर नगर पंचायत भगवानपुर के उत्पादित दैनिक ठोस अपशिष्ट (कूड़े) को नगर निगम, रूड़की के सालियर स्थित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लान्ट में डाले जाने हेतु अनुबन्ध सम्पादित कर दिनांक 25.09.2023 से कूड़ा डाले जाने की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार महोदय की सेवा में आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत भगवानपुर,
जिला, हरिद्वार।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1– सचिव महोदय, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– निदेशक महोदय, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– सदस्य सचिव महोदय, मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून।
4– उपजिलाधिकारी महोदय, भगवानपुर, हरिद्वार।
5– क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रूड़की।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत भगवानपुर,
जिला, हरिद्वार।

Scanned with OKEN Scanner

Nagar Nigam Roorkee

कार्यालय नगर निगम रुड़की जनपद-हरिद्वार

Add : Upper Ganga Canal Rd, Civil Lines, Roorkee, Distt Haridwar-247667
E-mail ID : nagarnigamroorkee@gmail.com

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

पत्राँक – 366 /स्वा०अनु०/न०नि०रू०/2023–24 दिनाँक-23 -09 -2023

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, भगवानपुर,
जनपद–हरिद्वार।

विषय :– नगर पंचायत, भगवानपुर के ठोस अपशिष्ट को नगर निगम रूडकी के सालियर स्थित टेन्चिंग ग्राउण्ड में कूड़ा डाले जाने के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि नगर निगम रुड़की एवं नगर पंचायत, भगवानपुर के मध्य दिनांक 23–09–2023 को दिनांक 25–09–2023 से दिनांक 31–03–2024 तक नगर पंचायत, भगवानपुर के ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु नगर निगम रूडकी के सालियर स्थित ट्रेन्चिंग ग्राउण्ड मे अनुबन्ध की शर्तोनुसार ठोस अपशिष्ट का शुल्क एवं मानदेय नगर निगम रूडकी कोष में जमा कराने हेतु अनुबन्ध किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुबन्ध की समस्त शर्तो का पालन करते हुए दिनांक 25–09–2023 से नगर निगम रूडकी के सालियर स्थित ट्रेन्चिंग ग्राउण्ड में ठोस अपशिष्ट का निस्तारण हेतु स्वयं के संसाधनों से डलवाया जाना सुनिश्चित करे।

नगर आयुक्त
नगर निगम रूडकी

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्न को सादर सूचनार्थ हेतु प्रस्तुत।

1. जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार की सेवा में सादर सूचनार्थ।
2. विहित अधिकारी महोदय, नगर निगम रूडकी को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम रूडकी को इस निर्देश के साथ कि समय–2 पर नगर पंचायत, भगवानपुर के ठोस अपशिष्ट वाहनो का निरीक्षण कर तौल कराया जाना सुनिश्चित करे।
4. श्री सचिन कुमार, सफाई निरीक्षक, नगर निगम रूडकी को इस निर्देश के साथ कि दिनांक 25–09–2023 से नगर पंचायत, भगवानपुर का कूडा निगम के ट्रेन्चिंग ग्राउण्ड में कूडा डलवाया जाना सुनिश्चित करे।
5. गार्ड फाईल।

नगर आयुक्त
नगर निगम रूडकी

IN-UK77837852686705V

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

MUNISH KUMAR
Stamp Vendor L. No. 186/2015
Tehsil-Bhagwanpur, Haridwar
Mob.:7895065045

₹10

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK77837852686705V
Certificate Issued Date	:	23-Sep-2023 11:41 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1263604/ ROORKEE/ UK-HD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK126360462161028741597V
Purchased by	:	ADHISHASI ADHIKARI NAGAR PANCHYAT BHAGWANPUR
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	ADHISHASI ADHIKARI NAGAR PANCHYAT BHAGWANPUR
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	ADHISHASI ADHIKARI NAGAR PANCHYAT BHAGWANPUR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

सत्यमेव जयते

Please write or type below this line

अनुबन्ध–पत्र

यह अनुबन्ध आज दिनांक 23–09–2023 को नगर निगम रूडकी एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, भगवानपुर के मध्य सम्पन्न हुआ। जिमसें नगर निगम रूडकी प्रथम पक्ष एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, भगवानपुर द्वितीय पक्ष कहलायेगें। कार्य का नाम :– नगर पंचायत, भगवानपुर के ठोस अपिशष्ट के निस्तारण हेतु नगर निगम रूडकी के सालियर स्थित ट्रैन्चिंग ग्राउण्ड में दिनांक 25–09–2023 से दिनांक 31–मार्च, 2024 तक कूडा डाले जाने के सम्बन्ध में जिला कार्यालय पत्रांक–606 / एलबीए–2023 दिनांक 22–09–2023 एवं नगर पंचायत, भगवानपुर के पत्रांक–369 / न0पं0भ0 / 2023–24 दिनांक मार्च 23–09–2023 को निगम को प्रेषित पत्र के क्रम में श्री नौशाद हसीन, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत भगवानपुर मो0न0–9045482640 को अनुबन्ध किया जा रहा है।

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत–भगवानपुर
जनपद–हरिद्वार

Scanned with OKEN Scanner

अनुबन्ध की शर्ते निम्नवत् है :–

1. यह कि द्वितीय पक्ष को ठोस अपिशष्ट (जैविक–अजैविक) पृथक–पृथक कर लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में स्वीकार नही किया जायेगा।
2. यह कि ठोस अपशिष्ट अपने वाहन से निगम के सालियर स्थित ट्रैंचिंग ग्राउण्ड में स्वयं डलवाना होगा।
3. यह कि वाहन का नम्बर, वाहन चालक नाम, मो0नम्बर एवं ड्राईविंग लाईसैन्स निगम में जमा करांना होगा।
4. यह कि कूडा ट्रैंचिंग ग्राउण्ड मे दोपहर 02 बजे से पूर्व डालना होगा 02 बजे के बाद कूडा नही डलवाया जायेगा।
5. यह कि ठोस अपशिष्ट वाहन ढक कर लाना होगा।
6. यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समस्त आदेशों को पालन करना होगा।
7. यह कि नगर पंचायत भगवानपुर को ठोस अपशिष्ट कां 500/–रुपये प्रति टन की दर से देना होगा।
8. यह कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष में किसी प्रकार का वाद–विवाद होता है तो न्याय के क्षेत्र रूडकी होगा।
9. यह कि द्वितीय पक्ष को ठोस अपशिष्ट शुल्क प्रतिमाह के प्रथम सप्ताह तक प्रसंस्करण शुल्क निगम कोष मे जमा कराना होगा यदि नगर पंचायत भगवानपुर द्वारा शुल्क निगम कोष मे जमा नही कराया जाता है तो अनुबन्धनामा स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।
10. यह कि नगर पंचायत भगवानपुर को ठोस अपशिष्ट कूडे के निस्तारण हेतु 02 कर्मचारी अथवा 02 कर्मचारियों का मानदेय 500/–रुपये प्रतिदिन की दर से प्रतिमाह निगम कोष मे जमा कराना होगा।
11. यह कि प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार होगा कि इस अनुबन्ध को जब चाहे निरस्त कर सकता है इसमे द्वितीय पक्ष का किसी प्रकार का वाद–विवाद स्वीकार नही किया जायेगा।
12. यह कि द्वितीय पक्ष को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
13. यह कि द्वितीय पक्ष ठोस अपशिष्ट (जैविक–अजैविक) को ही ट्रैंचिंग ग्राउण्ड में डालेगा इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अपशिष्ट नही डालेगा।
14. यह कि द्वितीय पक्ष को 06 टन का प्रतिदिन 500/– रुपये प्रतिटन की दर से 3000/– रु प्रतिदिन की दर से प्रतिमाह के प्रथम सप्ताह तक निगम कोष मे जमा कराने होंगे यदि ठोस अपशिष्ट 06 टन से अधिक होगा तो उसका शुल्क भी प्रतिटन की दर से निगन कोष में जमा कराना होगा।
15. यह कि नगर निगम रूडकी द्वारा किसी भी दिन द्वितीय पक्ष के कूडे वाहनो का औचक निरीक्षण कर तौल कराया जायेगा तौल के अनुसार यदि कूडा वाहन में अधिक कूडा पाया गया तो उसका अतिरिक्त प्रतिटन की दर से धनराशि निगम कोष में जमा करानी होगी।
16. यह कि यह अनुबन्ध 25–09–2023 से 31–03–2024 तक वैद्य होगा 01 अप्रैल 2024 से यदि द्वितीय पक्ष चाहे तो अनुबन्ध को वित्तीय वर्ष 2024–25 तक बढा सकता है अथवा अपने ठोस अपशिष्ट का ठोस अपशिष्ट अधिनियम–2016 के अनुसार अपने कूडे के निस्तारण की व्यवस्था स्वयं कर सकता है।

प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
हस्ताक्षर / मुहर – आयुक्त, नगर निगम रुड़की	हस्ताक्षर / मुहर – अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत–भगवानपुर, जनपद–हरिद्वार
गवाह	गवाह
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय–नगर पंचायत भगवानपुर जिला, हरिद्वार

पत्रांकः– 418 / न0पं0भ0 / 2023–24 दिनांक 25 –09–2023

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड,. देहरादून।

विषय :– नगर पंचायत भगवानपुर के ठोस अपशिष्ट कूड़े को नगर निगम रूड़की के सालियर स्थित कूड़ा निस्तारण प्लान्ट पर डलवाये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय आदेश पत्रांक–606 / एल0बी0ए0–2023 दिनांक 22 सितम्बर, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आदेशित किया गया है कि नगर पंचायत भगवानपुर के कूड़ा निस्तारण प्लान्ट हेतु भूमि की स्थायी व्यवस्था होने तक नगर पंचायत भगवानपुर में उत्पादित दैनिक ठोस अपशिष्ट (कूड़े) को नगर निगम, रूड़की के सालियर स्थित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लान्ट में प्रसंस्करण हेतु भेजा जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार द्वारा नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, रूड़की से समन्वय स्थापित कर नगर पंचायत भगवानपुर के उत्पादित दैनिक ठोस अपशिष्ट (कूड़े) को नगर निगम, रूड़की के सालियर स्थित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लान्ट में डाले जाने हेतु अनुबन्ध सम्पादित कर दिनांक 25.09.2023 से कूड़ा डाले जाने की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि नगर पंचायत भगवानपुर, जिला हरिद्वार में प्रतिदिन लगभग 08 से 09 मीट्रिक टन दैनिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न हो रहा है तथा लगभग 300 मैट्रिक टन लीगेसी वेस्ट है, जिसका निस्तारण नगर निगम, रूड़की के सालियर स्थित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लान्ट में किया जा रहा है।

अतः उपरोक्तानुसार महोदय की सेवा में आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत भगवानपुर,
जिला, हरिद्वार।